

**उत्तराखण्ड विधान सभा**  
**मा0 विधान सभा सदस्यों को प्रदान की जाने वाली सुविधायें।**

1.	वेतन	30,000.00 प्रतिमाह
2.	निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	1,50,000.00 प्रतिमाह
3.	चालक भत्ता	12,000.00 प्रतिमाह
4.	सचिवीय भत्ता	12,000.00 प्रतिमाह
5.	मकान किराया प्रतिकर (सुसज्जित आवास के स्थान पर)	300.00 प्रतिमाह
6.	जनसेवा भत्ता	2,000.00 प्रतिदिन
7.	रेलवे कूपन	3,55,000.00 प्रतिवर्ष

जिसमे से उनके द्वारा रेल कूपन के स्थान पर ₹ 27,083.00 प्रतिमाह की दर से डीजल/पैट्रोल व्यय के रूप में, मांग किये जाने पर, नकद भुगतान किया जा सकता है।  
(इसके अतिरिक्त रेलवे कूपनों के अन्तर्गत हवाई यात्रा करने के उपरांत हवाई यात्रा के टिकटों को प्रस्तुत कर अनुमन्य सीमा तक प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे)

8. निर्वाचन क्षेत्र तथा मुख्यालय में एक-एक टेलीफोन, तथा एक मोबाईल सिम कार्ड (रुपये छः हजार प्रतिमाह से अनधिक धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा)
9. चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा - स्वयं तथा परिवार के सदस्यों के लिए,
10. फ्री बस पास सुविधा (उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में),
11. लेपटॉप (प्रत्येक कार्यकाल में एक),
12. प्रतिवर्ष 2000 पृष्ठों का एक मुद्रित लेटर हेड और 1000 मुद्रित लिफाफे,
13. पारिवारिक पेंशन - यदि सदस्यता की अवधि के दौरान किसी आसीन सदस्य की मृत्यु हो जाय, तो उसके आश्रित को उसके सदस्यताकाल पर आगणित देय पेंशन मात्र की पचास प्रतिशत राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होगी।

-----

## **Salaries, Allowances and other Facilities provided to the Members of Uttarakhand Legislative Assembly**

1.	Salary	Rs.	30,000/-	per month
2.	Constituency Allowance	Rs.	1,50,000/-	per month
3.	Driver Allowance	Rs.	12000/-	per month
4.	Secretarial Allowance	Rs.	12,000/-	per month
5.	Reimbursement of House rent	Rs.	300/-	per month
	(in case, accommodation is not provided by the Govt.)			
6.	Public Welfare/Daily Allowance	Rs.	2,000/-	per day
7.	Railway Travel coupons.	Rs.	3,55,000/-	per year

(The members can claim an amount subject to maximum of Rs. 27083/- per month as cash for Petrol/Diesel in lieu of the Rail Travel Coupons.)

(Within the railway travel coupons air journey can be done and after the journey the bill can be presented for reimbursement upto the permissible limit)

8. Two land line Telephones one in State capital and one in Constituency and one mobile sim card, limited to payment till Rs.6000/- P.M. by the Govt.
9. Medical reimbursement facilities for self and family members.
10. Free Bus Pass facility.
11. One laptop (In every term)
12. One printed letter head of 2000 pages and 1000 printed envelopes every year.
13. Family Pension.

-----